# ई–निविदा सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राजकीय उद्यान पालीवाल पार्क में प्रवेश शुल्क/वाहन स्टैण्ड का ठेका एक वर्ष के लिये ई–निविदा के माध्यम से उठाये जाने हेतु ई–टेण्डरिंग पोर्टल http://etender.up.nic.in पर पंजीकृत फर्मो/ठेकेदारों से आमंत्रित की जाती है। टेण्डर प्रपत्र ई–टेण्डर की बेबसाइट http://etender.up.nic.in से डाउनलोड/ अपलोड किये जा सकते है। तकनीकी निविदा (Technical Bid) क्वालीफाई करने वाले निविदादाताओं की ही वित्तीय निविदा (Financial Bid) खोली जायेगी। ई–निविदा प्रपत्र तथा धरोहर धनराशि (अर्नेस्ट मनी/ई.एम.डी) की धनराशि जिला उद्यान विकास समिति आगरा के बैंक खाता संख्या 918010048801994 तथा IFSC Code&UTIB0001588 में ऑनलाइन जमा करने होंगे।

| क्र.सं. | विवरण | दिनांक/समय/स्थल/धनराशि |
|---|---|---|
| 1 | टेण्डर का अनुमानित मूल्य | रू0 15.00 लाख |
| 2 | ई–टेण्डर डाउनलोड करने की प्रारम्भिक तिथि व समय | 12.05.2026 प्रातः 10:00 बजे |
| 3 | प्री–बिड मीटिंग | 18.05.2026 अपरान्ह 1:00 बजे |
| 4 | ई–टेण्डर जमा/अपलोड करने की अन्तिम तिथि | 25.05.2026 प्रातः 11:00 बजे |
| 5 | तकनीकी ई–टेण्डर खोलने की तिथि, समय व स्थान | 25.05.2026 प्रातः 11.30 बजे |
| 6 | ई–टेण्डर प्रपत्र मूल्य | 2300+414 (18%GST) =2714 |
| 7 | ई–टेण्डर धरोहर धनराशि (अर्नेस्ट मनी/ई.एम.डी.) | 15500/– |

**ई–टेण्डर की शर्तेः–**

01. निविदा प्रपत्र का जी0एस0टी सहित मूल्य रू0 2714/– तथा धरोहर धनराशि (अर्नेस्ट मनी/ई.एम.डी) रू0 15500/– जिला उद्यान विकास समिति आगरा के बैंक खाता संख्या 918010048801994 तथा IFSC Code&UTIB0001588 में ऑनलाइन जमा करने होगें, अन्यथा आमंत्रित ई–निविदा स्वीकार्य नही होगी।
02. स्वीकृत टेण्डरदाता को रू0 100000/– सिक्योरिटी मनी बैंक गारंटी के रूप में Superintendent Government Gardens Agra के नाम अथवा उपरोक्त बैंक खाते में ऑनलाइन जमा करनी होगी।
03. स्वीकृत टेण्डरदाता की अर्नेस्ट मनी/ई.एम.डी. की धनराशि सिक्योरिटी मनी में समायोजित हो जायेगी, शेष अस्वीकृत टेण्डरदाताओं को अर्नेस्ट मनी/ई.एम.डी. की धनराशि वापिस कर दी जायेगी।
04. जिन फर्मो/ठेकेदारों की तकनीकी निविदा (Technical Bid) अर्ह होगी, उन्ही टेण्डरदाताओं की वित्तीय निविदा (Financial Bid) खोली जायेगी, जिसकी सूचना उनको ई–निविदा पोर्टल/बेबसाइट के माध्यम से प्रेषित की जायेगी।
05. टेण्डरदाता के पास डिजीटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) होना अनिवार्य है।
06. फर्म/कम्पनी/संस्था की ओर से अनुबन्ध पत्र हस्ताक्षरित करने व अन्य कार्यो हेतु अधिकृत व्यक्ति का नाम व फोटोयुक्त आई.डी. अथवा प्रपत्र (यथा आधार कार्ड की हस्ताक्षरित प्रति) उपलब्ध करानी होगी।
07. फर्म/कम्पनी/संस्था का नाम (जैसा कि सुसंगत प्रचलित नियमों के अन्तर्गत पंजीकृत प्रमाण–पत्रों में अंकित हो) प्रोपराइटरशिप/पार्टनरशिप का स्पष्ट उल्लेख किया जाये।
08. पत्राचार का पता (मो0नं0, दूरभाष, ईमेल आई0डी0 सहित) उल्लेख करें।
09. बिड के साथ बिडदाता को आयकर, पैन नम्बर, चरित्र प्रमाण–पत्र तथा गत तीन वर्षो का आयकर रिटर्न, निवास प्रमाण–पत्र व फोटो पहचान–पत्र/आधार कार्ड की छायाप्रति जमा करनी होगी।
10. जी0एस0टी0 पंजीकृत संख्या अंकित करते हुए पैनकार्ड की स्वहस्ताक्षरित प्रति संलग्न करें।
11. पार्क के अन्दर किसी भी प्रकार का अनैतिक अनधिकृत गतिविधियों को संचालित नही कराया जायेगा।

Scanned with OKEN Scanner

12. निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त अगर अन्य कोई अवैध वसूली की जाती है अथवा निम्न शर्तो की अवहेलना की दशा में प्रथम बार चेतावनी, द्वितीय बार रू0 10,000/- का जुर्माना, तृतीय बार रू0 20,000/- का जुर्माना लगाया जायेगा, यदि इसके बाद भी अगर अवैध वसूली का कृत्य दोहराया जायेगा तो धरोहर राशि जब्त कर ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।
13. प्रवेश हेतु टिकिट बिक्री मुख्य गेट पर बने टिकट घर से करनी होगी।
14. ठेकेदार द्वारा ऋतुओं के आधार पर निम्न विवरण के अनुसार उद्यान में घूमने वाले नागरिकों प्रवेश दिया जायेगा :-

| ऋतु | टिकिट व्यवस्था से प्रवेश | सुबह, शाम आने वाले नागरिकों हेतु निःशुल्क प्रवेश |
|---|---|---|
| ग्रीष्मऋतु (1 अप्रैल से 30 सितम्बर तक) | प्रातः 8:30 बजे से सायं 6:00 बजे तक | प्रातः 5:00 बजे से प्रातः 8:30 बजे तथा सायं 6:00 बजे से सायं 7:30 तक |
| शीतऋतु (1 अक्टूबर से 31 मार्च तक) | प्रातः 9:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक | प्रातः 6:00 बजे से प्रातः 9:00 बजे तथा सायं 5:00 बजे से सायं 6:30 तक |

15. ठेकेदार द्वारा विकलांगों, आठ वर्ष से कम आयु के बच्चों, बी0पी0एल0 कार्ड धारकों एवं 60 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क प्रवेश दिया जायेगा, जिसका उल्लेख प्रदर्शित बोर्ड पर किया जायेगा।
16. उद्यान परिसर में क्रिकेट, फुटबाल आदि खेल खेलना पूर्णतः बर्जित है। ठेकेदार द्वारा पार्क में उक्त खेल खेलने हेतु बच्चों/नागरिकों को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
17. उद्यान परिसर प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र घोषित है, भ्रमणकर्ताओं को उद्यान परिसर में प्लास्टिक का प्रयोग एवं खाद्य सामाग्री ले जाना प्रतिबन्धित है। ठेकेदार द्वारा भ्रमणकर्ताओं को उद्यान परिसर में प्लास्टिक, खाद्य सामाग्री के साथ प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
18. मा0 सांसद, मा0 विधायक, उ0प्र0 सरकार, मा0 न्यायमूर्ति/मा0 न्यायाधीशगण, जिला प्रशासन के अधिकारी एवं उद्यान विभाग के अधिकारी/कर्मचारी से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जायेगा।
19. उद्यान के प्रवेश द्वार पर शिकायत/सुझाव पुस्तिका रखनी होगी व उसकी उपलब्धता की सूचना के सम्बन्ध में सूचना पट पर अंकित करना होगा। सूचना पट पर ठेकेदार का नाम, ठेकेदार का पता, ठेका अवधि एवं सम्पर्क हेतु मो0 नं0 भी अंकित करना होगा।
20. माननीय सर्वोच्च न्यायालय अथवा अन्य किसी न्यायालय जैसे- टी0टी0 जैड द्वारा समय-समय पर दिये गये आदेशों का अनुपालन करना होगा। मा0 सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय अथवा शासन के आदेश अथवा अन्य परिस्थितिवश ठेके के सम्बन्ध में अन्यथा निर्णय लिया जाता है, तो ठेकेदार को पालन करना होगा और ठेकेदार विभाग से कोई भी हर्जाना पाने को अधिकारी नही होगा।
21. सक्षम अधिकारी को अधिकार होगा कि वह बिना कारण बतायें 15 दिन का नोटिस देकर ठेका समाप्त कर सकते है। ठेका समाप्त करने की स्थिति में ठेका संचालित होने की तिथि तक की धनराशि ठेकेदार को जमा करनी होगी।
22. ई-टेण्डर के समय उत्पन्न परिस्थितियों जिनका उल्लेख इन शर्तो में नहीं हो सका है। समिति/सक्षम अधिकारी को तत्समय निर्णय लेने का अधिकार होगा, जो टेण्डरदाता को मान्य होगा।
23. ठेकेदार को उद्यान परिसर (कार्य क्षेत्र)/पार्किंग की साफ-सफाई की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
24. ठेकदार द्वारा वाहनों को विभाग द्वारा निर्धारित स्थल पर ही खड़ा कराया जायेगा।

Scanned with OKEN Scanner

25. ठेकेदार को निम्न दरों को अंकित करते हुए कूपनों/टोकनों की व्यवस्था करनी होगी, तदानुसार ही ठेकेदार द्वारा प्रवेशकर्ता एवं वाहन मालिक से धनराशि वसूल कर सकेगा। निर्धारित दरों से अधिक प्रवेश शुल्क वसूलने की दशा मे ठेका निरस्त करते हुए सिक्योरिटी मनी धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

| क्र0सं0 | विवरण | दर |
|---|---|---|
| 1 | पार्क में भ्रमण हेतु प्रवेश टिकट | रू0 20/- |
| 2 | साईकिल चार्ज | रू0 10/- |
| 3 | स्कूटर, मोटर साईकिल | रू0 20/- |

26. ठेकेदार द्वारा पार्क में स्कूल/कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र/छात्राओं को स्कूल के परिधान (स्कूल ड्रेस) में प्रवेश नहीं कराया जायेगा।

27. किसी भी प्रकार का विवाद होने पर ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा तथा इससे सम्बन्धित ठेकेदार का कोई भी अनुरोध मान्य नही होगा।

28. ठेकेदार उद्यान के स्वरूप के साथ कोई छेड़–छाड़ नहीं करेगा तथा ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा, जिससे कि उद्यान को कोई क्षति हो, इसके अतिरिक्त उद्यान की भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं करेगा। क्षति की दशा में पूर्ण उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा तथा इसकी भरपाई ठेकेदार द्वारा जमा धरोहर धनराशि से की जायेगी।

29. ठेकेदार द्वारा उद्यान क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अस्थाई/स्थायी निर्माण नही कराया जायेगा। ठेकेदार द्वारां किसी प्रकार का खोखा, ठेला, स्टॉल, बिक्री केन्द्र, प्रचार व्यवस्था, शोरूम, बेन्डर, गाईड, फोटो ग्राफर आदि को स्थापित करना पूर्णतः वर्जित है तथा पार्क में अवैध लपकों एवं अवैध गाईडों का प्रवेश प्रतिबन्धित होगा। पार्क में अनैतिक एवं अवैध कार्य भी वर्जित होगें। अन्यथा ठेका स्वतः निरस्त हो जायेगा एवं जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

30. विशेष परिस्थितियों में स्थान परिवर्तन करने का अधिकारी सक्षम अधिकारी का होगा। इस सम्बन्ध में ठेकेदार द्वारा कोई आपत्ति नहीं की जा सकेगी और न ही ठेकेदार को कोई मुआवजा आदि देय होगा।

31. टेण्डरदाता टेण्डर में प्रतिभाग करने से पूर्व प्रवेश पर प्राप्त होने वाली आय का स्वयं आंकलन कर लें, तत्पश्चात ही टेण्डर में प्रतिभाग करें। एक बार उच्चतम वित्तीय बिड प्राप्त होने के पश्चात बिडदाता की यह आपत्ति है कि उन्हें ठेके में हानि हो रही अथवा अन्य कोई आपत्ति आदि स्वीकार नही होगी और न ही विभाग का इससे कोई सम्बन्ध होगा। ठेकेदार स्वयं ही लाभ–हानि का जिम्मेदार होगा।

32. किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र जिला आगरा होगा। ठेके के सम्बन्ध में कोई भी विवाद उत्पन्न होने पर सक्षम अधिकारी/जिलाधिकारी, आगरा द्वारा लिया गया निर्णय ही अन्तिम एवं दोनों पक्षों को मान्य होगा, जिसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी।

33. ठेकेदार अपने अधिकार को किसी भी दशा में अन्य को हस्तान्तरित नही करेगा, ऐसा करने की दशा में ठेका निरस्त कर दिया जायेगा तथा समस्त जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगा।

34. ठेकेदार द्वारा एक रजिस्टर भी रखा जायेगा, जिसमें पार्क में घूमने आने वाले प्रत्येक नागरिक का पूर्ण विवरण अंकित करते हुए आने व जाने का समय भी अंकित किया गया है। सम्बन्धित ठेकेदार स्वयं के व्यय पर क्यूआर कोड के माध्यम से ऑनलाइन टिकट प्रणाली लागू कर सकते है।

35. ठेकेदार अथवा उसके कर्मचारी किसी भी प्रवेशकर्ता, पर्यटकों एवं आगन्तुकों के साथ दुर्व्यवहार नही करेंगे।

36. स्वीकृत ठेका पर ठेकेदार को देय समस्त करों जैसे टी0सी0एस0 एवं अन्य करों का भुगतान ठेकेदार को अतिरिक्त करना होगा।

37. बिड/उच्चतम बोली स्वीकृत के उपरान्त उच्चतम बोली/बिड के आधार पर ठेका की कुल धनराशि की 50 प्रतिशत धनराशि तत्काल जमा करानी होगी। अवशेष 50 प्रतिशत धनराशि कार्य प्रारम्भ की तिथि से 03 माह के भीतर जिला उद्यान विकास समिति आगरा के बैंक खाता संख्या 918010048801994 तथा IFSC

Scanned with OKEN Scanner

Code-UTIB0001588 में ऑनलाइन (नेफ्ट/आर.टी0जी.एस) के माध्यम से जमा करनी होगी। धनराशि जमा न करने की स्थिति में सिक्योरिटी मनी की धनराशि जब्त करते हुए ठेका निरस्त कर दिया जायेगा, जिसके लिये ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा।

38. सभी प्रकार के कर दायित्वों का भुगतान ठेकेदार द्वारा करने से सम्बन्धित स्वःघोषणा–पत्र उपलब्ध कराना होगा।
39. ठेकेदार द्वारा उद्यान विभाग मे कार्य किये जाने के दौरान जी0एस0टी0 आदि करों को जमा किये जाने सम्बन्धी अदेयता प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराना होगा।
40. बिडदाता को जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित जारी चरित्र प्रमाण–पत्र एवं हैसियत प्रमाण–पत्र (रूपया 15 लाख से कम न हो) जो निविदा खुलने की तिथि को वैध हो, बिड के साथ जमा/संलग्न करना होगा।
41. समिति को अधिकार होगा कि बिना कारण बताए ठेके को निरस्त कर सकते हैं।
42. ठेका प्रदान किये जाने की दिनांक से 01 वर्ष तक ही मान्य होगा, जो कि संतोषजनक कार्य की दशा में 01 वर्ष की अवधि के लिए 10 प्रतिशत की धनराशि की बढोत्तरी के साथ जिलाधिकारी/सक्षम प्राधिकारी की अनुमति उपरान्त ही आगे बढाया जा सकता है, परन्तु इस हेतु ठेकेदार कोई भी दावा प्रस्तुत नहीं कर सकेगा।
43. ठेकेदार द्वारा दी गयी सूचनायें यदि असत्य अथवा त्रुटिपूर्ण पायी जायी है, जो ठेका निरस्त कर दिया जायेगा, ऐसी स्थिति में ठेकेदार द्वारा जमा समस्त धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
44. पार्क में प्रवेश के समय में परिवर्तन का निर्णय सक्षम स्तर से लिया जायेगा, जो कि टेण्डरदाता को मान्य होगा।
45. चयनित फर्म उद्यान परिसर में टिकट चैक करने के लिये अलग से अपने कार्मिक लगा सकती है।
46. ई–टेण्डर में सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक हो, भारतीय संविधा अधिनियम के अन्तर्गत संविदा करने हेतु अर्ह हो तथा ई–टेण्डर की तिथि तक बिडदाता की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिये।
47. टेण्डरदाता/ठेकेदार को सम्बन्धित कार्य के संचालन सम्बन्धी कार्यो का अनुभव प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा।
48. टेण्डरदाता/ठेकेदार को बकाया रहित प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा।
49. उपरोक्त शर्तो का पालन न करने पर या अवैध कृत्य करने पर ठेका तत्काल निरस्त हो जायेगा।
50. टेण्डरदाता/ठेकेदार को ठेके की समस्त शर्तो का रू0 100/– के स्टाम्प पेपर पर इस आशय का शपथ–पत्र अपलोड करते हुए मूल में रूप उपलब्ध कराना होगा कि :–
    (क) यह कि शपथकर्ता उपरोक्त पते का निवासी है तथा पत्राचार भी उक्त पते पर किया जाता है।
    (ख) यह कि शपथकर्ताकिसी भी सरकारी विभाग/संस्था में काली सूची में दर्ज नही है और न ही मेरे विरूद्ध कहीं भी कोई अपराधिक अभियोग पंजीकृत है।
    (ग) यह कि शपथकर्ता पार्क में प्रवेश शुल्क ठेका की समस्त शर्तो की जानकारी के साथ ई–टेण्डर में प्रतिभाग कर रहा है।
    (घ) यह कि शपथकर्ता पार्क में प्रवेश शुल्क ठेका की धनराशि जमा करने में सक्षम है।
    (ड़) यह कि शपथकर्ता का कोई रिश्तेदार/सम्बन्धी उद्यान विभाग में सेवारत नही है।
    (च) यह कि मुझे/हमें ठेके की समस्त नियम व शर्ते स्वीकार्य है व उनका पालन करने का वचन देते है।
    (छ) यह कि शपथकर्ता द्वारा पार्क में प्रवेश शुल्क की जानकारी का निरीक्षण कर लिया है व निरीक्षण उपरान्त ही टेण्डर में भाग ले रहा है।

Scanned with OKEN Scanner

(ज) यह कि शपथकर्ता को किसी राजकीय विभाग अथवा संस्था के बकाया का शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(झ) यह कि शपथकर्ता ने प्रवेश शुल्क एवं वाहन पार्किंग ठेके की क्र0सं0 01 से लेकर 50 तक शर्तो का पढ़ लिया है व समझ लिया है और पूरी जानकारी के साथ शपथकर्ता टेण्डर में प्रतिभाग कर रहा है तथा ठेके के नियम व शर्तो के पालन करने का वचन देता है।

( रजनीश पाण्डेय )
अधीक्षक
राजकीय उद्यान, आगरा।

## कार्यालय– अधीक्षक राजकीय उद्यान, आगरा।

पत्रांक 281 /ई–नीलामी/2026–27/दिनांक 11, मई 2026

**प्रतिलिपि :– निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।**

01. आयुक्त महोदय, आगरा मण्डल, आगरा।
02. जिलाधिकारी महोदय, आगरा।
03. मुख्य विकास अधिकारी, महोदय आगरा।
04. नगर मजिस्ट्रेट महोदय, आगरा।
05. मुख्य कोषाधिकारी, आगरा।
06. नगर आयुक्त, नगर निगम आगरा।
07. तहसीलदार, सदर, आगरा।
08. निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 2 सप्रू–मार्ग, लखनऊ।
09. उप निदेशक उद्यान आगरा।
10. सहायक निदेशक मत्स्य, आगरा।
11. समस्त जिला उद्यान अधिकारी, आगरा मण्डल, आगरा।
12. प्राधानाचार्य, राजकीय खाद्य प्रशिक्षण, केन्द्र, पालीवाल पार्क, आगरा।
13. जिला सूचना अधिकारी, आगरा।
14. लेखाकार, कार्यालय उप निदेशक उद्यान, आगरा।
15. समस्त प्रभारी राजकीय उद्यान, आगरा को विस्तृत प्रचार प्रसार हेतु।
16. कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

अधीक्षक
राजकीय उद्यान, आगरा।

Scanned with OKEN Scanner

Superintendent
Government Gardens, AGRA

# कार्यालय – अधीक्षक राजकीय उद्यान, आगरा।

## राजकीय उद्यान पालीवाल पार्क में प्रवेश शुल्क एवं वाहन पार्किंग हेतु तकनीकी निविदा प्रारूप

| क्र0 सं0 | विवरण | फर्म/कम्पनी/संस्था द्वारा प्रेषित प्रपत्रों का विवरण |
|---|---|---|
| 1 | फर्म का नाम(जैसा कि सुसंगत प्रचलित नियमों के अन्तर्गत पंजीकृत प्रमाण–पत्रों में अंकित हो) प्रोपराइटरशिप/पार्टनरशिप सहिता स्पष्ट उल्लेख करें। | |
| 2 | फर्म की ओर से अनुबन्ध पत्र हस्ताक्षरित करने व अन्य कार्यो हेतु अधिकृत व्यक्ति का नाम व फोटोयुक्त आई.डी. अथवा प्रपत्र (यथा आधार कार्ड की हस्ताक्षरित प्रति) सहिता स्पष्ट उल्लेख करें। | |
| 3 | पत्राचार का पता (मो0नं0, दूरभाष, ईमेल आई0डी0 सहित) उल्लेख करें। | |
| 4 | आयकर, पैन नम्बर की छायाप्रति सहित स्पष्ट उल्लेख करें। | |
| 5 | गत तीन वर्षो का आयकर रिटर्न की छायाप्रति सहित स्पष्ट उल्लेख करें। | |
| 6 | निवास प्रमाण–पत्र व फोटो पहचान–पत्र/आधार कार्ड की संख्या अंकित करते हुए छायाप्रति सहित स्पष्ट उल्लेख करें। | |
| 7 | जी0एस0टी0 पंजीकृत संख्या अंकित करते हुए स्वहस्ताक्षरित प्रति संलग्न करें। | |
| 8 | निविदा प्रपत्र का मूल्य रू0 2714/– जिला उद्यान विकास समिति आगरा के बैक खाता संख्या 918010048801994 तथा IFSC Code–UTIB0001588 में ऑनलाइन जमा करते हुए दिनांक सहित UTR No. नम्बर अंकित करें। | |
| 9 | धरोहर धनराशि (अर्नेस्ट मनी/ई.एम.डी) रू0 15500/– जिला उद्यान विकास समिति आगरा के बैक खाता संख्या 918010048801994 तथा IFSC Code–UTIB0001588 में ऑनलाइन जमा करते हुए दिनांक सहित UTR No. नम्बर अंकित करें। | |
| 10 | जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित जारी चरित्र प्रमाण–पत्र की संख्या अंकित करते हुए जो निविदा खुलने की तिथि को वैध हो; बिड के साथ जमा/संलग्न करें। | |
| 11 | जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित जारी हैसियत प्रमाण–पत्र (रूपया 15 लाख से कम न हो) की संख्या अंकित करते हुए जो निविदा खुलने की तिथि को वैध हो, बिड के साथ जमा/संलग्न करें तथा कार्यो से सम्बन्धित अनुभव संलग्न करें। | |
| 12 | रू0 100/– के स्टाम्प पेपर पर समस्त शर्तो का नोटराइज शपथ–पत्र की छायाप्रति अपलोड करें तथा कार्यालय को मूलरूप में उपलब्ध करायें। | |

नोट :– मुझे ई–निविदा पत्रांक 281 दिनांक 11/05/2026 में अंकित सभी शर्ते मान्य है।

**निविदादाता के हस्ताक्षर**
निविदादाता का पूरा नाम व पता
(मुहर व दिनांक)

Scanned with OKEN Scanner

# ई–निविदा सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राजकीय उद्यान पालीवाल पार्क में प्रवेश शुल्क/वाहन पार्किंग का ठेका आवद्ध किये जाने के दिनांक से एक वर्ष के लिये ई–निविदा के माध्यम से उठाये जाने हेतु ई–टेण्डरिंग पोर्टल http://etender.up.nic.in पर पंजीकृत फर्मो/ठेकेदारों से दिनांक 12.05.2026 को प्रातः 10:00 बजे से 25.05.2026 को प्रातः 11:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। इच्छुक निविदादाता विस्तृत जानकारी, नियम व शर्ते ई–टेण्डरिंग पोर्टल की बेबसाइट http://etender.up.nic.in पर देख व पढ़ सकते है।

(रजनीश पाण्डेय)
अधीक्षक
राजकीय उद्यान, आगरा।

## कार्यालय – अधीक्षक राजकीय उद्यान, आगरा।

पत्रांक 282 /ई–निविदा/2026–27/दिनांक 11, मई 2026

प्रतिलिपि :– प्रधान सम्पादक, दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण, आगरा को इस अनुरोध के साथ वह उक्त विज्ञप्ति को अपने समाचार पत्रों में राजकीय दरों पर प्रकाशित करने का कष्ट करें।

(रजनीश पाण्डेय)
अधीक्षक
राजकीय उद्यान, आगरा।

Superintendent
Government Gardens, AGRA

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajneesh Pandey
Date: 2026.05.11 17:45:24 IST
Location: Uttar Pradesh-UP

Scanned with OKEN Scanner